उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–34/2021–22

जयकृष्ण पासवान

बनाम्

निशीकांत चौधरी एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक 28/2/23

उत्तरवादी के अनुपस्थित रहने के कारण अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता जयकृष्ण पासवान उर्फ छोटु पासवान, पे0–शंकर पासवान, सा0–मोतिया, थाना–ओ0 पी0 मोतिया (गोड्डा मु0), जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के बंदोवस्ती केन्सीलेशन केश नं0–7/20–21 के आदेश दिनांक–11.08.2021 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने पारित आदेश दिनांक–11.08.2021 के द्वारा मौजा–मोतिया गैरमजरूआ खाता नं0–264, दाग नं0–258 रकवा 00–02–10 धुर बंदोवस्त जमीन को बरकरार रखते हुए बंदोवस्ती जमीन के अलावे अतिक्रमित रकवा 00–02–15 धुर जमीन से अतिक्रमण मुक्त करने हेतु अंचल अधिकारी, गोड्डा को आदेश दिया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्त्ता के दादा रघु हजरा, पिता–परमेश्वर हजरा के नाम से वर्ष 1970 ई0 में मौजा –मोतिया नं0–301, गैरमजरूआ खाता नं0–264 के दाग नं0–45 के रकवा 00–14–14 धुर एवं दाग नं0–258 के कुल रकवा 00–10–10 धुर में से रकवा 00–02–10 धुर जमीन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के सेटलमेंट केश नं0–666/1970–71 के आदेश दिनांक–11.06.1975 के द्वारा विधिवत बंदोवस्त किया गया है एवं बंदोवस्ती के पश्चात दिनांक–06.06.1980 को दखल भी दिलाया गया है। उनका आगे कथन है कि दाग नं0–45 के बंदोवस्त रकवा 00–14–14 धुर जमीन में से रकवा 00–08–00 धुर जमीन डुमरिया से सुगाबथान जाने वाले सड़क एवं पुल पहुँच पथ हेतु अधिग्रहण कर लिया गया। उक्त भूमि के अधिग्रहण के समय ग्रामीणों एवं सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा रघु हजरा के वंशज को आश्वासन दिया गया था कि

सड़क निर्माण में वे किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न नहीं करेगें, तो बाद में दाग नं0–258, जिसका कुल रकवा 00–10–10 धुर है, में से दक्षिण तरफ रकवा 00–02–10 धुर जमीन, जो पहले से उनके पूर्वज को बंदोवस्त है, का शेष रकवा भी अपने नाम से बंदोवस्त करा लेगें, तो ग्रामीणों को किसी प्रकार का आपत्ति नहीं होगा। उक्त जमीन का अधिग्रहण के पश्चात रघु हजरा के वंशजों ने दाग नं0–258 के अंदर शेष रकवा 00–08–00 धुर जमीन को समतल कर उसमें से रकवा 00–02–15 धुर जमीन को चहार दिवारी से घेराबंदी कर उस पर पक्के का मकान बनाकर निवास कर रहे हैं तथा शेष जमीन को बाड़ी के रूप में उपयोग कर रहे हैं तथा चहार दिवारी के बाहर वाले जमीन पर खेती करते हैं। लेकिन बाद में ग्रामीणों के आपत्ति पर अंचल अधिकारी, गोड्डा के द्वारा जाँच किया गया एवं बंदोवस्ती केन्सीलेशन केश नं0–7/20–21 प्रारम्भ कर अपीलकर्त्ता से कारण–पृच्छा की माँग की गयी। अपीलकर्त्ता द्वारा कारण–पृच्छा दाखिल किया गया। इसके पश्चात अंचल अधिकारी, गोड्डा के द्वारा अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा को भेजा गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा ने बंदोवस्ती को रद्द करने की अनुशंसा करते हुए अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को भेजा गया। इसी बीच प्रभारी पदाधिकारी, उपायुक्त की गोपनीय शाखा, गोड्डा के पत्रांक–356/गो0 दिनांक–23.03.2021 के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा स्थल जाँच किया गया। जाँच में अपीलकर्त्ता के पूर्वज के साथ पूर्व में की गयी बंदोवस्ती को सही पाया। लेकिन जाँच प्रतिवेदन में उसी दाग नं0–258 के शेष रकवा 00–12–15 धुर जमीन को अतिक्रमण मानते हुए अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश दिया गया है। उनका आगे कहना है कि दाग नं0–45 की बंदोवस्ती जमीन के बदले कोई मुआवजा नहीं दिया गया है एवं अपीलकर्त्ता के बढ़े हुए परिवार के गुजर बसर के लिए कोई जमीन उपलब्ध नहीं है और अपीलकर्त्ता भूमिहीन हरिजन जाति के होने के साथ एक सरकारी सैनिक भी है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के दिनांक –11.08.2021 के पारित आदेश जिसके द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए आदेश दिया गया है, को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी प्रथम पक्ष की ओर से लिखित ब्यान दिया गया है, जिसमें उल्लेख है कि मौजा–मोतिया नं0–301 की गैरमजरूआ खाता

नं0–264 दाग नं0–258 कुल रकवा 00–10–10 धुर जमीन, जो गत सर्वे पर्चा में परती गढा कह कर दर्ज है, में से रकवा 00–02–10 धुर जमीन अपीलकर्त्ता के पूर्वज के नाम से पूर्व में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा बंदोवस्त कर दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा बंदोवस्ती केन्सीलेशन केश नं0–7/20–21 में पूर्व में बंदोवस्ती को कायम रखा गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। चूँकि उक्त जमीन परती गढा है और गाँव का पानी का निकास होता है तथा तालाबनुमा गढा से नीचे अवस्थित खेत का फसल पटवन होता है। उन्होंने अपील वाद को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी द्वितीय पक्ष की ओर से लिखित ब्यान दाखिल किया गया, जिसमें उल्लेख है कि मौजा–मोतिया नं0–301 गैरमजरूआ खाता नं0–264 दाग नं0–258 कुल रकवा 00–10–10 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में परती गढा कहकर दर्ज है। वर्तमान में उक्त जमीन छोटा तालाब नुमा था, जिसमें गाँव का पानी बरसात के समय निकासी होकर तालाब में जमा होता था एवं उक्त जमा पानी से फसल का पटवन होता था। लेकिन अपीलकर्त्ता ने बंदोवस्त जमीन से भी अधिक जमीन पूरे रकवा की जमीन में मिट्टी डालकर अपने कब्जे में कर लिया। इसलिए ग्रामीण निशिकांत चौधरी एवं अन्य के द्वारा अंचल अधिकारी, गोड्डा अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा एवं श्रीमान के कार्यालय में आवेदन दिया गया। अंचल अधिकारी, गोड्डा के द्वारा बंदोवस्ती रद्द करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए बंदोवस्ती को रद्द करने के लिए अनुशंसा किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने दाग नं0–258 के अंदर रकवा 00–02–10 धुर जमीन को बंदोवस्ती के यथावत रखते हुए शेष जमीन रकवा 00–02–15 धुर जमीन को अतिक्रमण घोषित करते हुए अंचल अधिकारी, गोड्डा को अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश दिया गया। लेकिन चूँकि बंदोवस्त जमीन गढा की जमीन है एवं उक्त दाग की शेष जमीन अपीलकर्त्ता द्वारा अतिक्रमण किया गया है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश विधि सम्मत एवं व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

विज्ञ सरकारी वकील का मंतव्य है कि निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। इसलिए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–मोतिया थाना नं0–301 गैरमजरूआ खाता नं0–264 दाग नं0–258 रकवा 00–10–10 धुर जमीन गत सर्वे खतियान में परती गडढा के रूप में दर्ज है। उक्त दाग नं0–258 के अन्तर्गत रकवा 00–02–10 धुर जमीन रघु हजरा के नाम से अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के बंदोवस्ती केश नं0–666/1979–80 के द्वारा बंदोवस्ती की गयी है। ग्रामीणों के आपत्ति पर उक्त बंदोवस्ती को रद्द करने के लिए प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया और अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण किया गया है एवं पाया गया है कि वर्तमान में उक्त विवादित स्थल का स्वरूप गडढा न होकर समतल है। लेकिन चूँकि अपीलकर्त्ता के द्वारा उक्त दाग नं0 के अंदर बंदोवस्त जमीन से अधिक जमीन दखल कर लिया गया है और अपीलकर्त्ता के द्वारा न तो निम्न न्यायालय में और न ही वर्तमान अपील वाद में कोई कागजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान अपील वाद में भी अपीलकर्त्ता का दावा सिर्फ मौखिक है। ऐसी स्थिति में बंदोवस्त जमीन से अधिक रकवा 00–02–15 धुर जमीन पर अपीलकर्त्ता का दावा स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतएव अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के बंदोवस्ती केन्सीलेशन केश नं0–07/20–21 में दिनांक–11.08.2021 के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.04.12 11:01:27 +05:30
Location: 172.17.16.1